

संख्या-१११ / XV-2/07(03)/2007 (डेरी)

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपडाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक: 13 जून, 2017:


विषय- नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआं की प्रबंध कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-2003 की धारा-34 (1)(ग) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री नन्दा बल्लभ, निवासी-ग्राम दौलिया डी क्लास, पो०ओ०-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल को उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआं की प्रबंध कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।


भवदीय,


(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/XV-2/07(03)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-मा० मंत्री जी, दुग्ध विकास को मा० मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. प्रधान प्रबंधक, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआं को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
3. गार्ड फ़ावली।


(डा० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।